



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092023-248990
CG-DL-E-25092023-248990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4055]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2023/आश्विन 3, 1945

No. 4055]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2023/ASVINA 3, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2023

का.आ. 4223(अ).—केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 54 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निर्माताओं को, उक्त नियमों के नियम 55 में विहित प्रक्रिया को अपनाने हुए उक्त नियमों के साथ संलग्न फार्म संख्या 4क में जारी आयात प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी शर्तों के अध्वधीन निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाली मार्फिन, कोडीन, थिवेम और उनके लवणों के आयात की अनुमति है, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	निर्माताओं का नाम और पता
(1)	(2)
1.	मैसर्स एडकॉक इनग्राम लिमिटेड, 49- सी और डी, बोम्मासांडा इंडस्ट्रियल एरिया, अनैकल तालुक, बेंगलुरु-560099.
2.	मैसर्स रसन फार्मा लिमिटेड 58-डी, सरकारी औद्योगिक एस्टेट, चारकोप कांदिवली (डब्ल्यू), मुंबई – 400067.
3.	मैसर्स सानोफी इंडिया लिमिटेड, सानोफी हाउस, सीटीबी सं 117 -बी, ऐल&टी बिज़नेस पार्क, साकी विहार रोड, पावड़, मुंबई-400072.
4.	मैसर्स सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एकमे प्लाजा, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059.

5.	मैसर्स बर्व ह्यूमनकेयर लेबोरेटरीज, प्लॉट नंबर 15- ए, फार्मासिटी, सेलाक्वी, देहरादून, उत्तराखंड – 248011.
6.	मैसर्स वॉकहार्ट लिमिटेड, वॉकहार्ट टावर, बान्डरा कुर्ला कमप्लेक्स, मुंबई - 400051.
7.	मेसर्स अल्फाएम्ड फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड, सर्वे नं 225, साम्पनबोले विलेज, शमीरपेट मंडल, मेडचल- मलकजगिरी जिला, तेलंगाना- 500101.
8.	मेसर्स सिप्ला लिमिटेड, सिप्ला हाउस, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदमा मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013.

2. यह अधिसूचना, इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी और 31.12.2024 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. एन.11012/1/2013-एसओ(एनसी-II)]

मुकेश सुन्दरियाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2023

S.O. 4223(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 54 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies that the manufacturers mentioned in the Table below are permitted to import morphine, codeine, thebaine and their salts for use in manufacture of products to be exported, after following the procedure specified in rule 55 of the said rules and subject to such conditions as may be specified in the import certificate issued in Form No. 4A annexed to the aforesaid rules, namely:-

Sl.No.	Name and Address of manufacturers
(1)	(2)
1.	M/s Adcock Ingram Limited, 49-C and D, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore-560099.
2.	M/s Rusan Pharma Ltd., 58-D, Government Industrial Estate, Charpok, Kandivali (W), Mumbai-400067.
3.	M/s Sanofi India Limited, Sanofi House, CTB No. 117-B, L&T Business Park, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai-400072.
4.	M/s Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. Acme Plaza, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059.
5.	M/s Verve Human Care Laboratories, Plot No. 15-A, Pharmacy, Selaqui, Dehradun-248011 Uttarakhand.
6.	M/s Wockhardt Limited, Wockhardt Towers, Bandra Kurla Complex, Mumbai-400051.
7.	M/s Alphamed Formulations Private Limited, Survey No 225, Sampanbole Village, Shamirpet, Mandal, Medchal-Malkajgiri Dist., Telangana-500101.
8.	M/s Cipla Ltd., Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadma Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

2. This notification shall remain in force from the date of its publication in the Official Gazette till the 31st day of December, 2024.

[F. No. N.11012/1/2013-SO(NC-II)]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.